संगठन / पंजीकरण प्रतिवेदन
(जिला ग्रामोद्योग अधिकारी तथा उनके स्टाफ द्वारा भरी जाने वाली सूचनायें)

१. प्रस्तावित समिति का नाम ..... ग्राम .....

पत्रालय ..... विकास क्षेत्र ..... जनपद .....

२. गठन का प्रस्ताव किस श्रोत से प्रारम्भ हुआ ?
(विभागीय कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन अथवा पारस्परिक कारीगरों द्वारा)

३. समिति ग्रामीण क्षेत्र की है अथवा शहरी क्षेत्र की है ?

४. क्या समिति के कार्यक्षेत्र में लिये गये गाँव, मोहल्ला एक काम्पेक्ट एरिया बनाते हैं ?

५. क्या समिति किसी केन्द्रीय समिति की सदस्य होगी ? यदि हां तो दोनों के बीच दूरी कितनी हैं?

६. (अ) कार्यक्षेत्र मे कितने कारीगर सदस्यता के योग्य हैं ?
(ब) उनमें से कितने शामिल हो रहे हैं ?
(स) क्या शेष कारीगरों के भी सदस्य बनने की सम्भावना हैं ?

७. समितियों के कार्यक्षेत्र के कारीगरों के सम्बन्ध में निम्नलिखिखित ब्योरा दें:–

क्रमांक	नाम उद्योग	कारीगरों की संख्या जो उद्योग को चला रहे हैं।	कारीगरों की संख्या जो कृषि के साथ कार्य करते है।	प्रति वर्ष प्रति कारीगर आय का अनुमानित विवरण
१	२	३	४	५
१				
२				
३				
४				
५				
६				
७				
८				
९				
१०				

८. सदस्य समिति के उद्देश्यों से परिचित हैं,
तथा समिति के प्रति अपने कर्त्तव्यों को समझते हैं ?

९. क्या समिति के संचालक मण्डल के व्यक्ति सदस्यों के विश्वास पात्र है तथा उन पर प्रभाव रखते हैं ?

१०. क्या संचालक मण्डल ने अपने अधिकार और कर्त्तव्यों को समझ लिया है ?

११. क्या संचालक मण्डल के ३/४ सदस्य कारीगरों में से हैं ?

१२. प्रस्तावित मुख्य प्रवर्तक तथा सचिव का नाम लिखिये।

मु. प्र० :

सद० सचिव :

१३. क्या कोई योग्य शिक्षित सदस्य समिति का हिसाब किताब रखने को तैयार है ?

१४. समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य कोई ग्रामोद्योगिक सहकारी समिति इसी उद्योग अथवा अन्य उद्योग की पहले से ही पंजीकृत तो नहीं है यदि है तो विवरण दें।

१५. प्रस्तावित समिति के सदस्य अन्य किसी ग्रामोद्योगिक सहकारी समिति के सदस्य तो नहीं हैं ? यदि हाँ तो विवरण दीजिये।

१६. प्रत्येक सदस्य को दिये गये कम से कम हिस्से की संख्या तथा उनका नियत मूल्य दें।

१७. किस्तें जिनमें हिस्सों का मूल्य अदा करना है।

१८. समिति के ऋण के लिये सदस्यों का दायित्व क्या होगा ?

१९. समिति के उत्तरदायित्व की निर्धारित की हुयी अन्तिम धनराशि (अधिकृत हिस्सा पूंजी का आठ गुना) उपविधि सं० ३४ (क) के अनुसार

२०. कच्चे माल की पूर्ति तथा तैयार माल की बिक्री का क्या प्रबन्ध होगा ?

२१. क्या आवश्यक प्रावैधिक मार्ग दर्शन स्थानीय तौर पर उपलब्ध है ?

२२. समिति के कार्य के लिये पूंजी की क्या व्यवस्था होगी ?

२३. क्या उद्योग सामयिक होगा अथवा वर्ष पर्यन्त चलता रहेगा ?

२४. क्या सदस्य कारीगर स्थायी रूप से स्थानीय निवासी है अथवा सीजन–काल में अस्थायी रूप से आ जाते हैं ?

२५. संगठन कर्ता ने प्रस्तावित समिति की कितनी बैठकों में भाग लेकर विस्तृत उद्देश्यों से सदस्यों को परिचित कराया ? तारीख दीजिये।

२६. क्या सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों का ज्ञान कराया गया है और वे उनके अनुरूप कार्य करने की रुचि रखते हैं।

२७. अन्य विशेष उल्लेखनीय बातें।

तारीख २०

संगठन कर्ता के हस्ताक्षर